न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी शैलेन्द्र देवड़ा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/ 104)

जीवन सिह पुत्र श्री प्यारा सिह जाति मजबी हरिजन साकिन चक 5 एम. के तहसील रायसिहनगर।

अपीलान्ट

बनाम

1. दारा सिह पुत्र बिन्द्र सिह जाति मजबी साकिन चक 5 एम.के. तहसील रायसिहनगर।
2. देव सिह पुत्र प्यारा सिह जाति मजबी साकिन चक 5 एम.के. तहसील रायसिहनगर जिला श्री गंगानगर, हाल जिला अनूपगढ।
3. बिन्द्र सिह पुत्र प्यारा सिह जाति मजबी साकिन 5 एम.के. तहसील रायसिहनगर जिला श्री गंगानगर, हाल जिला अनूपगढ।
4. दिशों पुत्री प्यारा सिह पत्नी गुरमीत सिह जाति मजबी साकिन मांगेजी तहसील करतारपुर जिला जालन्धर पंजाब।
5. सोमा देवी पुत्री प्यारा सिह पत्नी सरवण सिह जाति मजबी निवासी 13 के.एन.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर, हाल जिला अनूपगढ।
6. सिमरजीत कौर पुत्री प्यारा सिह पत्नी राजसिह जाति मजबी निवासी 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर हाल जिला अनूपगढ।
7. मनजीत कौर पुत्री प्यारा सिह पत्नी रेशम सिह जाति मजबी निवासी 12 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
8. बलविन्द्र कौर पत्नी काला सिह पुत्र प्यारा सिह जाति मजबी निवासी 15 पी.एस. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ।
9. कलवन्त सिह पुत्र काला सिह पुत्र प्यारा सिह जाति मजबी निवासी 15 पी.एस. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ।
10. जसवन्त सिह पुत्र काला सिह पुत्र प्यारा सिह जाति मजबी निवासी 15 पी.एस.तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ।
11. रणजीत सिह पुत्र काला सिह पुत्र प्यारा सिह जाति मजबी निवासी 15 पी.एस.तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ।
12. कुलजीत कौर पुत्री काला सिह पुत्र प्यारा सिह जाति मजबी निवासी 15 पी.एस. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिहनगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार भादाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 4 ता 12
3. श्री ज्ञानसिह बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय **दिनांकः 25.11.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा के निर्णय दिनांक 18.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उप तहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा के प्र.सं. 16/2020 अनवान दारासिह बनाम सरकार के आदेश दिनांक 18.07.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाने व विरासतन इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि चक 5 एम. के. खाता संख्या 50/45 पत्थर नम्बर 137/286 के मुरब्बा नम्बर 56 में 0.422 हैक्टयर बारानी भूमि व पत्थर नम्बर 138/284 में 1.835 हैक्टयर व पत्थर नं. 140/284 में 2.257 हैक्टयर कुल भूमि 4.105 हैक्टयर भूमि प्यारा सिह के नाम पुख्ता आवंटन हुई थी। प्यारा सिह के देहान्त के पश्चात अपीलान्ट एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स ने विरासतन इन्तकाल दर्ज करने हेतु उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। वह प्रार्थना पत्र तहसीलदार रायसिहनगर को भेजा गया, तहसीलदार रायसिहनगर ने उप तहसीलदार मुकलावा को विरासतन इन्तकाल हेतु प्रेषित किया जो विचाराधीन है। उप तहसीलदार मुकलावा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वसीयत पेश कर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का कथन किया जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त नही हुई। उक्त भूमि पर समस्त वारिसान का कब्जा काश्त बदस्तूर रहा है। अपीलान्ट व शेष रेस्पोडेन्ट्स का धोषणात्मक एवं विभाजन का वाद इसी भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के समक्ष जैरकार था जिसमे वसीयत का हवाला दिया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया है एवं दावे मे वादीगण के पक्ष में इसी भूमि बाबत स्थगन आदेश दिनांक 06.02.2023 को पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो आज भी जेरकार है। वसीयत इन्तकाल के समय भी अपील जेरकार थी एव दावा भी जेरकार है । समस्त तथ्य उप तहसीलदार मुकलावा के समक्ष होने के बावजूद प्रकरण स्थगित न कर आदेश पारित कर दिया। उप तहसीलदार मुकलावा को वसीयत प्रकरण विवादित बाबत इन्तकाल सुनने का राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर नही था फिर भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व अन्य वारिसान को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। फर्द अहकाम उप तहसीलदार मुकलावा का दिनांक 27.12.2023 से तारीख पेशी बन्द कर दी गई थी, ना ही अधिकारी के हस्ताक्षर है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। ये जमीन को आगे बेच रहे है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमावें व विरासतन इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे, अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2002 पेज 418, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 ता 12 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि इन्तकाल प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल चढाया गया है वो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट एवं शेष रेस्पोडेन्ट को ना तो किसी प्रकार का नोटिस दिया ओर ना ही सुनवाई का अवसर दिया, एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो गलत है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2024 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार को रिमाण्ड कर निर्देश प्रदान किया जावे कि सभी पक्षकारो को सुनकर निर्णय पारित करे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 ता 12 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RBJ (16) 2009 पेज 312, RRD 1998 पेज 371, का न्यायिक दृष्टांत पेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वसीयत कर्ता प्यारासिह ने अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत पूर्ण होश हवास में अपने पोते दारासिह के पक्ष में की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व विधि अनुसार सूचना प्रकाशित करवाई गई, वसीयत पर किसी ने आपत्ति पेश नही की। वसीयत पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही था। वसीयत को सिविल न्यायालय में चेलेन्ज कर रखा है, वंहा तैय हो जायेगा कि वसीयत सही है या गलत। अपीलान्ट जीवन सिह ने हमारे खिलाफ एक FIR करवाई जिसमें वसीयत के संबध में बयान हुए है। उक्त भूमि पर कब्जा आज भी हमारे पास है। इन्होने हमारे खेत में धुसकर हमारे साथ मारपीट की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये गये है वो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील उपतहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा के निर्णय दिनांक 18.07.2024 के विरूद्व पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा ने उक्त निर्णय के द्वारा उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 15.07.2020 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश हल्का पटवारी को दिये है। पत्रावली के अवलोकन करने से पाया कि प्यारासिह द्वारा दिनांक 15.07.2020 को अपने चार पुत्रो व 4 पुत्रियो मे से केवल अपने पौत्र दारासिह पुत्र बिन्द्रसिह के नाम वादग्रस्त भूमि की वसीयत की गई है। प्यारासिह का देहान्त दिनांक 21.11.2020 को हो चुका है। वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा वैध ठहराया जाना भी पत्रावली पर नही पाया गया है। उक्त वसीयत मात्र पुत्रो एवं पुत्रियो को भूमि मे हिस्से से वंचित रखे जाने हेतु तैयार किया जाना प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2024 विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो के अनूकूल नही पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा के द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पारित निर्णय दिनांक 18.07.2024 को अपास्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार (राजस्व) रायसिहनगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रषित(Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में वसीयत की जांच कर उयय पक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेन्द्र देवड़ा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर